प्रेषक,

प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 आउटसोर्स सेवा निगम,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 190/MDUCOS/2026, लखनऊः दिनांकः 16.11.2026

विषयः प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को शासनादेश दिनांक 02.11.2026 के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विभिन्न प्रशासकीय विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13 (विविध), उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या–3/2026/I/1511176/2026–20/16/2024–सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13–SAD, दिनांक 02 नवम्बर, 2026 (प्रति संलग्न) निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान की कार्यवाही दिनांक 02 सितम्बर, 2026 से सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2. विभिन्न सूत्रों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभागों द्वारा शासनादेश संख्या–3/2026/I/1511176/2026–20/16/2024–सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13–SAD, दिनांक 02 नवम्बर, 2026 के अनुरूप भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जो खेदजनक है।

अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों को इस आशय के स्पष्ट निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें कि उनके द्वारा सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13 (विविध), उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3/2026/I/1511176/2026–20/16/2024–सचिवालय प्रशासन अनुभाग–13–SAD, दिनांक 02 नवम्बर, 2026 के अनुरूप पारिश्रमिक भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये सचिवालय प्रशासन विभाग को अवगत कराया जाए। इस विषय पर शीघ्र ही उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित होनी है, जिसमें विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार भुगतान की समीक्षा प्रस्तावित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(संतोष कुमार)
कार्यकारी निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन को कृपया सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(संतोष कुमार)
कार्यकारी निदेशक।